

FORM 'A'

(See rule 3(1))

Application form for obtaining Information

I.D. No. — 34/25-26
(For office use)

To,
The Public Information Officer
Road Construction Department,
Vishweshwaraiya Bhawan, Jawaharlal Nehru Marg,
Patna,
Bihar 800001

1. Name of the Applicant: Richa Sinha

2. Full Address:

C/o Sri B k Sinha, srimati Poonam sinha
Ravi Ranjan Sinha 107G
bichhya jagal Tulsi Ram,
near Kargil shaheed marg durga mandir shyam kirana store
pac camp Ajad nagar bichhya gorakhpur up 273014
Email Address: richasinha664@gmail.com

3. SUB: कार्यालय आदेश संख्या 03। 08/1/2025 द्वारा पथ नरिमाण वभाग बहिर मे श्री गुरुचरण शाह जूनयिर इंजीनयिर को सुपरटिडेट (अधीक्षक) अभयिता बनाया गया। इनके अलावा और कतिने जूनयिर इंजीनयिर को सुपरटिडेट (अधीक्षक) अभयिता बनाया गया बताया जाय?

4. Particulars of Information:

Please provide the following information under section 2(f) and 2(j) of the RTI act:

1. कार्यालय आदेश संख्या 03। 08/1/2025 द्वारा पथ नरिमाण वभाग बहिर मे श्री गुरुचरण शाह जूनयिर इंजीनयिर को सुपरटिडेट (अधीक्षक) अभयिता बनाया गया। इनके अलावा और कतिने जूनयिर इंजीनयिर को सुपरटिडेट (अधीक्षक) अभयिता बनाया गया बताया जाय?

2. पथ नरिमाण वभाग बहिर मे कनए अभयिता को सहायक अभयिता द्वारा सुपरटिडेट (अधीक्षक) अभयिता मे प्रमोशन के लिए क्या परीक्षा ली जाती है कथि डीपीसी मीटगि द्वारा बनाया जाता है। अगर परीक्षा होती है तो कौन लेता है बताया जाय?

5. I, hereby, state that the information sought is not covered under the categories which are exempted from disclosure of information under section 8 or under section 9 of the Right to Information Act, 2005 and to the best of my knowledge, it is pertaining to your Department/office.

6. Encl. Application Fee of Rs 10/- by IPO No. PAY TO: Accounts Officer

-66F 336547

क. श्री. जे. एन. /
CR
25-04-25

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी०सं०-34/25-26

पटना, दिनांक-25/4/25

प्रेषक:

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2622(E) me

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्रीमती रिचा सिन्हा का सूचना आवेदन जो इस विभाग में दिनांक-24.04.2025, को प्राप्त हुआ है। संलग्न किया जाता है, (आई०डी०सं०-34/25-26)।

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा-5 (4) के आलोक में प्रपत्र-'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा-5 (5) के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र-'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के आलोक में वांछित सूचना दो सेट में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

Penal
25/4/25

लोक सूचना पदाधिकारी

दिनांक-25/4/25

ज्ञापांक-2622(E)

प्रतिलिपि : अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Penal
25/4/25

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत

पंजीयन सं०.....

दिनांक-.....

15

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र सं०-प्र० 3/सू०-13-09/2025

प्रेषक,

2730(E)

30/4/25-
पटना, दिनांक :-

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-03
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :-

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत श्रीमती रिचा सिन्हा के आवेदन
दिनांक-24.04.2025 (आई०डी० सं०-34/2025-26) के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-2622 (ई), दिनांक-25.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के न्यायादेश एफ० संख्या सी०आई०सी०/ए०टी०/ए/2006/00045, दिनांक-21.04.2006 के तहत सूचना देय नहीं है।

विश्वासभाजन,

30/4/25

प्रशाखा पदाधिकारी-03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

829
40010
09/05/25

कृपया नोटेस
02.05.25

D:\B.T.I. Section 23\Komal 23\B.T.I. FOLDER TILL 2024\prantra Gha.docx